<u>जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में अस्थायी वाहन स्टैण्ड की नीलामी हेतु निविदा सूचना ।</u>

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए अस्थायी वाहन स्टैण्ड हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है । इच्छुक व्यक्ति/संस्था मु0 5,000/– रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन समय 03:00 बजे, दिनांक : 27.03.2015 तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा कर सकते है । खुली नीलामी दिनांक : 30.03.2015 को सायंकाल : 04:00 बजे से इच्छुक व्यक्तियों/संस्था के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी ।

<u>नियम एवं शर्तें</u>

1. अस्थायी वाहन स्टैण्ड की नीलामी वार्षिक स्तर पर की जायेगी । निविदायें एक बार जमा करने के उपरान्त वापस नहीं की जायेगीं ।
2. इच्छुक व्यक्ति/संस्था मु0 5,000/– रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन जमा कर सकते है । उक्त वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के बगैर जमा आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगें । आवेदन पत्र दिनांक : 27.03.2015 के पहले किसी भी कार्यदिवस में मु0 50/– रुपये का शुल्क जमा करके प्राप्त किए जा सकते है ।
3. आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के नाम से संबोधित होगें तथा दिनांक : 27.03.2015 को सायंकाल : 03:00 तक जमा किये जा सकते है ।
4. खुली नीलामी दिनांक : 30.03.2015 को सायंकाल : 04:00 बजे से इच्छुक व्यक्तियों/संस्था के प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी । जो व्यक्ति/संस्था का प्रतिनिधि खुली बोली के समय उपस्थित नही होगा उस व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
5. निविदा में असफल व्यक्तियों की अग्रिम जमा धनराशि नीलामी के उपरान्त शीघ्र वापस कर दी जायेगी । नीलामी स्वीकृत होते ही सफल व्यक्ति/संस्था को नीलामी की कुल धनराशि का 50% धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि का भुगतान तीन कार्यदिवसों के भीतर नकद या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में तीन माह के फिक्स्ड डिपोजिट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) की रसीद के माध्यम से जमा करनी होगी । <u>नीलामी में सफल व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि का समायोजन विज्ञापन खर्च की कटौती के उपरान्त नीलामी की पूर्ण धनराशि में कर लिया जायेगा</u> ।
6. इस वित्तीय वर्ष 2015–16 में अस्थायी वाहन स्टैण्ड की नीलामी की न्यूनतम बोली रुपये

अध्यक्ष
अवस्थापना उप समिति
जनपद न्यायालय,कौशाम्बी

1,20,000/--(एक लाख बीस हजार मात्र) होगी ।

7. इस वित्तीय वर्ष 2015--16 में वाहन स्टैण्ड में वाहनों का किराया नियत कर दिया गया है जो निम्नवत है . . .

   साइकिल -- रु0 03.00/-- मात्र ।

   स्कूटर/मोटर साइकिल -- रु0 05.00/-- मात्र ।

   कार/जीप या अन्य बडें वाहन -- रु0 10.00/-- मात्र ।

8. नीलामी में सफल व्यक्ति को अस्थायी वाहन स्टैण्ड हेतु जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी तथा वाहन स्टैण्ड को चलाने हेतु वह स्वयं उसे विकसित करेगा ।

9. आवेदन पत्र के साथ इच्छुक व्यक्ति को अपना स्वहस्ताक्षरित निवास तथा पहचान प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा ।

10. जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी को बिना कारण बताऐ किसी एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।

11. प्राप्त आवेदन पत्रों (जैसा कि नियम व शर्तो के पैरा--4 में लिखित है) की खुली नीलामी दिनांक : 30.03.2015 को सायंकाल : 04:00 से बजे इच्छुक व्यक्तियों की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी ।

12. उक्त निविदा में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी का निर्णय अंतिम/सर्वमान्य होगा ।

दिनांक : 19.03.2015

भवदीय

Parmanand Shukla

(परमानन्द शुक्ला) 19.3.2015
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
अध्यक्ष, अवस्थापना उप समिति,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

अध्यक्ष
अवस्थापना उप समिति
जनपद न्यायालय कौशाम्बी

<u>वाहन स्टैण्ड की निविदा के लिए गठित समिति के सदस्य</u> :--

19.3.2015

(1) **श्री मोहनलाल**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

(2) **श्री लाल बाबू यादव**
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में अस्थायी कैन्टीन की नीलामी हेतु निविदा सूचना

जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में वित्तीय वर्ष 2015–16 में अस्थायी कैन्टीन हेतु खुली निविदायें आमंत्रित की जाती है । इच्छुक व्यक्ति मु0 5,000/– रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन, समय 03:00 बजे, दिनांक : 27.03.2015 तक नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में जमा कर सकते है । खुली नीलामी दिनांक : 30.03.2015 को सायंकाल : 04:00 बजे से इच्छुक व्यक्तियों की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी ।

नियम एवं शर्तें

1. अस्थायी कैन्टीन की नीलामी वार्षिक स्तर पर की जायेगी । निविदायें एक बार जमा करने के उपरान्त वापस नहीं की जायेगीं ।
2. इच्छुक व्यक्ति मु0 5,000/– रुपये की अग्रिम जमा धनराशि नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के साथ अपने आवेदन जमा कर सकते है । उक्त वर्णित अग्रिम जमा धनराशि के बगैर जमा आवेदन स्वीकार्य नही होगें । आवेदन पत्र दिनांक : 27.03.2015 के पहले किसी भी कार्यदिवस में मु0 50/– रुपये का शुल्क जमा करके प्राप्त किए जा सकते है ।
3. आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के नाम से संबोधित होगें तथा दिनांक : 27.03.2015 को सायंकाल : 03:00 तक जमा किये जा सकते है ।
4. खुली नीलामी दिनांक : 30.03.2015 को सायंकाल : 04:00 बजे से इच्छुक व्यक्तियों/संस्था का प्रतिनिधि की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी । जो व्यक्ति/संस्था का प्रतिनिधि खुली बोली के समय उपस्थित नही होगा उस व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जायेगी ।
5. निविदा में असफल व्यक्तियों/संस्थाओं की अग्रिम जमा धनराशि नीलामी के उपरान्त शीघ्र वापस कर दी जायेगी । नीलामी स्वीकृत होते ही सफल व्यक्ति/संस्था को नीलामी की कुल धनराशि का 50% धनराशि तुरन्त जमा करना होगा तथा शेष धनराशि का भुगतान तीन कार्यदिवसों के भीतर नकद या बैंक ड्राफ्ट (जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी के नाम से) के माध्यम से जमा करना होगा । नीलामी में सफल व्यक्ति/संस्था द्वारा जमा अग्रिम धनराशि का समायोजन विज्ञापन खर्च की कटौती के उपरान्त नीलामी की पूर्ण धनराशि में कर लिया जायेगा ।
6. अस्थायी कैन्टीन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 की नीलामी में निविदा की न्यूनतम बोली रु0 40,000/– प्रति कैन्टीन होगी ।
7. नीलामी में सफल व्यक्ति को अस्थायी कैन्टीन हेतु जमीन उपलब्ध करा दी जायेगी तथा कैन्टीन को चलाने हेतु वह स्वयं उसे विकसित करेगा ।

अध्यक्ष
अवस्थापना उप समिति
जनपद न्यायालय,कौशाम्बी

8. नीलामी में सफल व्यक्ति/ठेकेदार को आवेदन पत्र के साथ समस्त खाद्य एवं पेय पदार्थो का मुनासिब मूल्य भी प्रस्तुत करना होगा जो उसके द्वारा कैन्टीन में विक्रय किए जायेगें । उसके द्वारा प्रस्तुत मूल्य उचित तथा बाजार भाव से अधिक नही होने चाहिए ।
9. नीलामी में सफल व्यक्ति/ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसके द्वारा विक्रय किए जा रहे खाद्य एवं पेय पदार्थ उच्च गुणवत्ता के होगें तथा उनका मूल्य बाजार भाव से अधिक नही होगा ।
10. आवेदन पत्र के साथ इच्छुक व्यक्ति को अपना स्वहस्ताक्षरित निवास तथा पहचान प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा ।
11. जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी को बिना कारण बताऐ किसी एक या समस्त निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा ।
12. प्राप्त आवेदन पत्रों (जैसा कि नियम व शर्तो के पैरा–4 में लिखित है) की खुली नीलामी दिनांक : 30.03.2015 को सायंकाल : 04:00 बजे से इच्छुक व्यक्तियों की मौजूदगी में सभागार, जनपद न्यायालय, कौशाम्बी में की जायेगी ।
13. उक्त निविदा में किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में जनपद न्यायाधीश, कौशाम्बी का निर्णय अंतिम/सर्वमान्य होगा ।

दिनांक : 19.03.2015

भवदीय

Parmanand Shukla 19.3.2015

(परमानन्द शुक्ला)
प्रभारी अधिकारी (नजारत)
अध्यक्ष, अवस्थापना उप समिति,
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।
अध्यक्ष
अवस्थापना उप समिति
जनपद न्यायालय,कौशाम्बी

<u>वाहन स्टैण्ड की निविदा के लिए गठित समिति के सदस्य</u> :–

19.3.2015

(1) **श्री मोहनलाल**
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

(2) **श्री लाल बाबू यादव**
न्यायिक मजिस्ट्रेट
जनपद न्यायालय, कौशाम्बी ।

7054